दावा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने वाले बैंक द्वारा विधिवत प्रमाणित दस्तावेजों की सूची:-

(क) सामान्य दस्तावेज

1. अनुबंध/आदेश/एलसी(साख पत्र)
2. इनवॉइस
3. लदान बिल/एयरवे बिल/लॉरी रसीद
4. निर्यातक बैंक द्वारा विदेशी बैंक को भेजी गई वसूली सूचना
5. विदेशी बैंक से प्राप्त गैर भुगतान सूचना
6. मूल अदत्त विनिमय पत्र (डीए बिल हेतु खरीदार द्वारा विधिवत स्वीकृत)
7. सीमा शुल्क पोतलदान (शिपिंग) बिल, एसडीएफ अथवा विनिमय नियंत्रण जीआर फॉर्म, जब भी लागू हो।

(भा रि बैं द्वारा लागू आई डी पी एम एस प्रणाली में पोतलदान (शिपिंग) बिल आदि से संबंधित डेटा सीमा शुल्क एवं बैंकों से लिंक्ड होता है। अतः सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में इन एजेंसियों की प्रणाली के माध्यम से जारी किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज़ पर विचार किया जा सकता है।)

8. खुली सुपुर्दगी वाले दावों के लिए, एयरलाइन/शिपिंग कंपनी/कार्गो कंपनी से सुपुर्दगी किए जाने का प्रमाण तथा खरीदार द्वारा सुपुर्दगी प्राप्त होने की पुष्टि।
9. खरीदार को दस्तावेजों के सीधे प्रेषण के मामले में, भा रि बैं/प्राधिकृत डीलर का अनुमोदन आवश्यक है।
10. प्रसाक्ष्यांकन नोट
11. आंशिक वसूली भुगतान के संबंध में इनवॉइस सं व दिनांक, विदेशी मुद्रा में वसूल की गयी राशि , वसूली की तारीख , विनिमय दर, भारतीय रु में वसूल की गयी राशि सहित बैंक सूचना ।
12. निम्नलिखित प्रारूप में पिछले दो वर्षों में खरीदार (जिस पर दावा किया गया है) को किए गए अंतिम पोतलदान तक किए गए सभी पोतलदानों का विवरण:-

(विशेष पोतलदान पॉलिसी (एस एस पी) ,खरीदारवार पॉलिसी (बी डबल्यू पी), बहु खरीदार जोखिम पॉलिसी (एम बी ई पी), एकल खरीदार जोखिम पॉलिसी (एस बी ई पी) एवं माइक्रो निर्यातक पॉलिसी (एम ई पी) पर लागू)

क्र सं	पोतलदान की तारीख	जी आर सं	विदेशी मुद्रा में सकल इनवॉइस मूल्य	भारतीय मुद्रा में सकल इनवॉइस मूल्य	भुगतान की शर्तें	गंतव्य देश	भारतीय रु में प्राप्त राशि	प्राप्ति की तारीख

1. निम्नलिखित प्रारूप में चूकाधीन प्रथम पोतलदान से पहले पिछले दो वर्षों के दौरान सभी खरीदारों को किए गए निर्यात का विवरण: - (पोतलदान व्यापक जोखिम (एस सी आर) , लघु निर्यातक पॉलिसी (एस ई पी) तथा निर्यात पण्यावर्त (ई टी पी) पर लागू)

क्र सं	पोतलदान की तारीख	जी आर सं	खरीदार का नाम व देश	विदेशी मुद्रा में सकल इनवॉइस मूल्य	भारतीय मुद्रा में सकल इनवॉइस मूल्य	भुगतान की शर्तें	गंतव्य देश	भारतीय रु में प्राप्त राशि	प्राप्ति की तारीख

2. मूल खरीदार के साथ पत्राचार।

3. निर्यातक के बैंक एवं विदेशी बैंक के बीच अदत्त निर्यात बकाया राशि की वसूली, नोटिंग प्रसाक्ष्यांकन, अदत्त निर्यात दस्तावेजों की वापसी आदि से संबन्धित पत्राचार।

4. पॉलिसीधारक द्वारा पॉलिसी के निबंधनों एवं शर्तों के गैर अनुपालन में ओर से की गई किसी भी चूक से संबन्धित जैसे कि प्रीमियम की विलंब अदायगी, पोतलदान की घोषणा एवं चूक की रिपोर्ट की विलंब प्रस्तुति, दावा को विलंब से दायर किया जाना आदि पर स्पष्टीकरण।

(ख) जहां माल को मूल खरीदार के सुपुर्द किया गया हो एवं उसके द्वारा स्वीकार किया गया हो

17. ऋण वसूली एजेंसी (डीसीए)/वकील एवं विदेश स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के माध्यम से आरंभ की गई कार्रवाई का प्रमाण एवं डीसीए/वकील तथा विदेश स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास के साथ किया गया पत्राचार।

(ग) खरीदार द्वारा उठाए गए विवाद के मामले में

18. खरीदार के देश के किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निर्यातक के पक्ष में खरीदार के विरुद्ध अंतिम निर्णय।

(घ) दिवालियापन की स्थिति में

19. दिवालियापन का प्रमाण
20. आधिकारिक हिताधिकारी /दिवालियापन न्यायालय में दायर दावा तथा खरीदार की दिवालिया संपत्ति के विरुद्ध पॉलिसीधारक के दावे की स्वीकृति।
21. यदि खरीदार की दिवालिया संपत्ति के विरुद्ध दावे की स्वीकृति का प्रमाण उपलब्ध नहीं हो तो यह घोषणा कि निर्यातक द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया है एवं निर्यातक से ऐसी कोई चूक नहीं हुई है जिससे दिवालिया संपत्ति के विरुद्ध उसका दावा अमान्य हो जाए।

(ड.) माल पुनर्बिक्री /पुनः आयात/नीलामी/परित्याग के मामले में

22. वैकल्पिक खरीदार के साथ किया गया पत्राचार , वैकल्पिक खरीदार द्वारा दिया गया आदेश।

23. पुनर्बिक्री प्राप्तियों की वसूली हेतु बैंक सूचना

24. भंडारण/विलंब प्रभार की अदायगी का प्रमाण

25. माल ढुलाई/संचालन शुल्क की अदायगी का प्रमाण

26. कोई अन्य पुनर्बिक्री व्यय का प्रमाण

27. मूल देश में प्रवेश पत्र (पुनः आयात हेतु)

(भा रि बैं द्वारा लागू आई डी पी एम एस प्रणाली में प्रवेश पत्र आदि से संबंधित डेटा सीमा शुल्क एवं बैंकों से लिंक्ड होता है। अतः सक्षम प्राधिकारी इस संबंध में इन एजेंसियों की प्रणाली के माध्यम से जारी किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज़ पर विचार किया जा सकता है)

28. भा रि बैं / प्राधिकृत डीलर का अनुमोदन, जहाँ भी लागू हो

29. मूल खरीदार को बिना किसी आपत्ति के पुनर्विक्रय की सूचना

30. विदेशी खरीदार के बैंक, निर्यातक के समाशोधन (क्लियरिंग) एजेंट आदि से पत्र के रूप में प्राप्त नीलामी का प्रमाण।

31. नीलामी प्राप्तियों की वसूली हेतु बैंक सूचना एवं नीलामी प्राप्तियों की वसूली न होने की स्थिति में, इस आशय का बैंक प्रमाणपत्र।

32. किसी प्राधिकारी जैसे विदेशी बैंक, शिपिंग लाइन, सीमा शुल्क प्राधिकारी अथवा खरीदार के देश में वाणिज्य मंडल, भारतीय दूतावास द्वारा जारी किया गया पत्र अथवा प्रमाण पत्र के रूप में परित्याग का प्रमाण, जिसमें यह सूचित गया हो कि खरीदार को माल की सुपुर्दगी नहीं की गयी है।

(च) साख पत्र के अधीन गैर भुगतान के कारण उत्पन्न दावे के मामले में:

33. भारत में किसी बैंक द्वारा सूचित साख पत्र

34. साख पत्र के अधीन सूचित संशोधन

35. खरीदार द्वारा माल की स्वीकृति का प्रमाण।

36. खरीदार के साथ पत्राचार की प्रतियां जिसमें भुगतान न किए जाने की सूचना हो।

37. दूतावास/वाणिज्य दूतावास/ऋण वसूली एजेंट के साथ पत्राचार की प्रतियां जिसमें वसूली की कार्रवाई की सूचना हो।

38. यदि खरीदार द्वारा कोई विवाद उठाया गया हो , तो विवाद से संबंधित बिंदुओं पर एक नोट।

39. साख पत्र खोलने वाले बैंक द्वारा उठाई गई विसंगति पर सलाह

40. निर्यातक के बैंक तथा साख पत्र खोलने वाले बैंक के बीच उठाई गई विसंगतियों जिसके लिए भुगतान अस्वीकार कर दिया गया हो, के संबंध में किए गए पत्राचार, साथ ही एक नोट जिसमें उन कारणों का संकेत दिया गया हो जिनके लिए निर्यातक को प्रतीत हो कि उल्लिखित विसंगति मान्य/उचित नहीं है।

(छ) राजनीतिक जोखिमों के कारण दावे के मामले में

41. स्थानीय मुद्रा में खरीदार द्वारा भुगतान के प्रेषण का प्रमाण (स्थानांतरण में विलंब के मामले में)।

42. खरीदार के देश के सीमा शुल्क अधिकारियों जैसे संबंधित प्राधिकारियों द्वारा आयात लाइसेंस रद्द करने का प्रमाण।

43. राजनीतिक कारणों से समुद्री यात्रा के मार्ग परिवर्तन के कारण हुए व्यय का प्रमाण।

44. ऋण वसूली कार्रवाई के संबंध में विदेश में भारतीय वाणिज्य दूतावास, विदेशी बैंक, संग्रहकर्ता बैंक, भारत एवं विदेश में संबंधित प्राधिकारियों के साथ किया गया पत्राचार।